**अनुबंध- 4**

*(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 20)*

**आयकर अधिनियम की धारा 195 के अधीन विप्रेषण के लिए फार्म और आवेदन**

| | |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम और पता और *कारोबार का मुख्य स्थान* | |
| 2. मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम और पता जिसके क्षेत्राधिकार में प्रेषक आता है | |
| 3. आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पीएएन) | |
| 4. विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता तथा देश, जहां विप्रेषण किया जाता है | |
| 5. विप्रेषण की राशि और प्रकार | |
| 6. स्रोत पर कर कटौती की दर | |
| 7. अधिनियम/ डीटीएए के प्रावधान का संदर्भ जिसके तहत दर निर्धारित किया गया है | |

8. **प्रमाणपत्र**

(i) मैं/ हम ऊपर दर्शाए गए स्रोत पर कर कटौती के अनुसार उपर्युक्त विप्रेषण करना चाहता/चाहती हूं/ चाहते हैं। हमने मेसर्स _____ से जो आयकर अधिनियम की धारा 288 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक लेखाकार है, स्रोत पर कर कटौती की राशि, प्रकार और विशुद्धता को अभिप्रमाणित करनेवाला एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

(ii) यदि आयकर प्राधिकारी किसी समय यह पाता है कि विप्रेषण की राशि पर वास्तव में कटौती योग्य कर का या तो भुगतान नहीं किया गया है या पूरा भुगतान नहीं किया गया है, मैं/ हम देय ब्याज के साथ कर (टैक्स) की उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ/ देते हैं।

(iii) मैं / हम आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त चूक के लिए दंड के प्रावधानों के अधीन भी होंगे।

(iv) मैं/ हम उपर्युक्त विप्रेषण के हिताधिकारी की आय के प्रकार और राशि के निर्धारण के लिए आयकर अधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ और स्रोत पर कर कटौती के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आयकर अधिनियम के तहत हमारी देयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूं/ देते हैं।

(v) उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कोई भी संबंधित सूचना छिपाई नहीं गई है।

---

नाम और हस्ताक्षर

[प्रेषण करनेवाले व्यक्ति के आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (आयकर अधिनियम की धारा 139(ए) के प्रावधानों के अनुसार) द्वारा हस्ताक्षर किये जाए]

**प्रमाणपत्र**

मैंने/ हमने उपर्युक्त विप्रेषण की अपेक्षा रखलेवाले मेसर्स _____(प्रेषणकर्ता) और मेसर्स _____ (हिताधिकारी) के बीच हुए करार (जहां कहीं लागू हो) और विप्रेषण के स्वरूप का पता लगाने एवं धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर निर्धारित करने के लिए संबंधित दस्तावेज और लेखा बहियों की जांच की है। हम एतद्वारा निम्नप्रकार प्रमाणित करते हैं कि :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता एवं उस देश का नाम जिसको विप्रेषण किया जा रहा है। | | | |
| 2. | प्रस्तावित दिनांक/ माह और बैंक, जिसके माध्यम से विप्रेषण किया जा रहा है, को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण राशि। | | | |
| 3. | स्रोत पर काटे गए कर (टैक्स) के ब्योरे, दर जिस पर कर की कटौती की गई है और कटौती का दिनांक | | विदेशी मुद्रा | भारतीय@ मुद्रा |
| | | विप्रेषित की जानेवाली राशि | | |
| | | स्रोत पर की गई कर कटौती | | |
| | | प्रेषित वास्तविक राशि | | |
| | | दर,जिस पर कटौती की गई | | |
| | | कटौती का दिनांक | | |
| 4. | उपर्युक्त (2) के अनुसार विप्रेषण के मामले में क्या देय कर का समग्र योग किया गया है? यदि हां, तो उसकी गणना बताएं। | | | |
| 5. | तकनीकी सेवाओं, ब्याज, लाभांश आदि के लिए रॉयल्टी, फीस हेतु विप्रेषण की स्थिति में संबंधित डीटीएए का खंड जिसके तहत विप्रेषण को सुरक्षा दी जाती है, के साथ कारण और दर जिस पर डीटीएए को लागू ऐसे खंड के अनुसार कर की कटौती अपेक्षित है। | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | यदि लागू डीटीएए के तहत निर्धारित दर से कम पर कर कटौती की गई है तो उसका कारण। | |
| 7. | वस्तुओं अथवा सामान (अर्थात् संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, आदि) अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों की आपूर्ति के लिए विप्रेषण है तो कृपया बताएं :- | |
| (i) | क्या भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विप्रेषण का हिताधिकारी, वस्तुओं अथवा सामान की आपूर्ति जैसे क्रियाकलाप करता है? | |
| (ii) | क्या ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान को ऐसे विप्रेषण दिए जा सकते हैं अथवा उससे संबंधित किए जा सकते हैं? | |
| (iii) | यदि हां तो, ऐसे विप्रेषणों में शामिल आय की राशि कर के अधीन है। | |
| (iv) | यदि नहीं तो, उसके कारण | |
| 8. | यदि विप्रेषण कारोबारी आय के कारण है तो कृपया दर्शाएं : | |
| (i) | क्या ऐसी आय भारत में कर के अधीन है? | |
| (ii) | यदि हां तो, कर की कटौती दर की गणना का आधार | |
| (iii) | यदि नहीं तो, उसके कारण | |
| 9. | किन्हीं अन्य कारण से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाती है तो उसका कारण बताएं। | |

(जहां कहीं आवश्यक हो, विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें)

---

नाम, पता और पंजीकरण संख्या

(आयकर अधिनियम की धारा 288 में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाए।)